

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 714] | नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938    |
|----------|---|
| No. 714] | NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/ CHAITRA 2, 1938 |

### सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

काआ.1178(अ) .— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥ खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतदद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 329 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| क्र. सं. | नया रारा | राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण   |
|----------|----------|---|
|          | सं.      |   |
| (1)      | (2)      | (3)   |
|          |          |   |
| 329      | 208ए     | असम राज्य में रारा सं. 208 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कैलाशहर के निकट धर्मनगर, कदमताला,   |
|          |          |   |
|          |          | प्रेमटोला, कुरती आरसीसी पुल तथा त्रिपुरा राज्य में काथलताली, कुकीताल को जोड़ने वाला और रारा-44 के |
|          |          | साथ चांद खेड़ा के निकट अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।                                 |

[फा.सं. एनएच-14012/29/2015-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

1427 GI/2016 (1)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 2827(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

**S.O.1178(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 329 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

| Serial No. | New      | Description of National Highways   |
|------------|----------|--|
|            | National |  |
|            | Highway  |  |
|            | No.      |  |
| (1)        | (2)      | (3)  |
| 329        | 208A     | The highway starting from its junction with NH 208 near Kailashahar connecting             |
|            |          | Dharmanagar, Kadamtala, Premtola, Kurti RCC Bridge in the State of Tripura Kathaltali,     |
|            |          | Kukital and terminating at its junction with NH 44 near Chand Khera in the State of Assam. |

[F. No. NH-14012/29/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P & B)

**Footnote:**-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2827 (E), dated 14<sup>th</sup> October, 2015.